

①

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, KOLKATA

O. A. No. 23 of 2024 (EZ)
(Earlier O. A. No. 729/2023/PB)

In re: News Item appearing in News Wing dt.
01.12.2023 titled "बोकारो के कोनार नदी में अवैध रूप से पत्थर
का खनन धड़ल्ले से जारी, प्रशासन मौन" Applicant

Versus

Jharkhand State Pollution Control Board & Ors.
..... Respondent

INDEX

| S. N. | Particulars | Page No. |
|-------|---|----------|
| 1. | Counter Affidavit on Behalf of the Jharkhand State Pollution Control Board. | 02-08 |
| 2. | Annexure - A: True copy of the Memo No.1188 dated 31/08/2013. | 09-10 |
| 3. | Annexure - B: True copy of the Memo No. B - 631 dated 01/03/2024. | 11 |
| | Annexure - C: True copy of the DMO, Hazaribagh Letter No. 374 dated 07/03/2024. | 12-29 |

Filed by: -



Surendra Kumar
Advocate
Jharkhand State Pollution Control Board



Authorised under Notaries Act 1952
& Notaries Rules 1958 Govt. of
Jharkhand, Ranchi (India)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, KOLKATA

O. A. No. 23 of 2024 (EZ)
(Earlier O. A. No. 729/2023/PB)

In re: News Item appearing in News Wing dt.
01.12.2023 titled "बोकारो के कोनार नदी में अवैध रूप से पत्थर
का खनन धड़ल्ले से जारी, प्रशासन मौन" Applicant

Versus

Jharkhand State Pollution Control Board & Ors.
..... Respondent

Affidavit on behalf of Jharkhand State Pollution
Control Board in compliance of the order dated
19/01/2024.

I, Yatindra Kumar Das, son of Late K. K. Das presently
posted as the Member Secretary, Jharkhand State
Pollution Control Board, H.E.C, Dhurwa, Ranchi and am

fully authorized and here by solemnly state and affirm
as follows: -



Ref. No. 9/13 Date 11 MAR 2024

1. That, at present, I am working and posted as the Member Secretary, Jharkhand State Pollution Control Board, H.E.C, Dhurwa, Ranchi and as such, I am well acquainted with all the facts and circumstances of this case.

2. That, I have gone through the order dated 19/01/2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Eastern Zone Bench, Kolkata and have understood the contents therein.

3. That, I have been authorized to swear this affidavit on behalf of the Jharkhand State Pollution Control Board (JSPCB) by the Competent Authority. Further, it is stated that I have gone through the relevant files and records in the present case.

4. That, the instant O. A. was taken up Suo moto by the Hon'ble NGT based on the news item which related to the illegal mining between Bokaro and Hazaribagh along with river Konar. As per the said news item report, it is alleged that illegal mining in the forest area is going on and as a result of illegal mining activity Konar Nadi is adversely effected. It is further

alleged in the news item that the flow of the river

11 MAR 2024



has been diverted by the Mafia to carry out the illegal mining and the river water is getting polluted due to the illegal activity.

5. That, it is humbly stated and submitted that the Mines and Geology Department, Government of Jharkhand vide its Sankalp Sankhya 563/MoCo Dated 05/10/2005 has constituted a Task Force at district level to review, follow-up and control the illegal mining activities in the district and has further expanded their jurisdiction vide Memo No. 1188 dated 31/08/2013.

Photocopy of the Memo No. 1188 dated 31/08/2013 is enclosed herewith as **Annexure - 'A'**.

6. That, it is humbly stated and submitted that the JSPCB vide its Ref. No. B-631 dated 01/03/2024 has directed the Deputy Commissioner - Cum - Chairman, District Task Force (Mining), Bokaro / Hazaribagh and the District Mining Officer - Cum - Member Secretary, District Task Force (Mining), Bokaro / Hazaribagh to submit the Action Taken Report.

Photocopy of the Board's Ref. No. B-631 dated 01/03/2024 is



11 MAR 2024

enclosed herewith as **Annexure - 'B'** .

7. That, the District Mining Officer - Cum - Member Secretary, District Task Force (Mining), Hazaribagh vide his letter no. 374 dated 07/03/2024 has submitted the Action Taken Report against the illegal mining in light of the order dated 19/01/2024 in the present Original Application. A brief of which is as below: -

a) It has been informed that an enquiry of the said matter was carried out by the Mines Inspector, District Mining Office, Hazaribagh and Police Station Force, Bishnugarh; and it was found that the illegal mining was being carried out in the Konar River and the stone boulders were transported through Forest Land for use in the nearby situated three Stone Crushers. These stone boulders are being used for producing stone chips. During Inspection, no storage was found at the illegally established crusher. During enquiry from the local villagers it was certified that the stone from the River is being brought to these crushers and the produced stone chips is being sold in the local market. In light of the above a FIR has been lodged under relevant

11.1 MAR 2024



provisions of law in Bishnugarh Police Station. The case number of which is 29/2024 dated 09/02/2024.

b) The District Mining Officer, Hazaribagh vide his Letter No. 162 dated 10/02/2024 has informed the Divisional Forest Officer, Hazaribagh East Forest Division to block the routes in the forest area and these routes of the village Narki Khurd should not be used by the illegal miners and to keep a regular vigilance to check the illegal mining and transportation activity so as to prevent the loss of Royalty.

c) The District Mining Officer, Hazaribagh vide his Letter No. 165 dated 10/02/2024 has informed the Regional Officer, JSPCB Regional Office, Hazaribagh that the three stone crushers are illegally established and operational in the Village Narki Khurd without getting CTE / CTO and has further requested to take legal action against them.

d) The District Mining Officer, Hazaribagh vide his Letter No. 163 dated 10/02/2024 has informed the Executive Engineer (Electrical), Electricity Department, Hazaribagh to disconnect the electricity connection of the three crushers which

11 MAR 2024.



are established in the village Narki Khurd without getting Storage License.

e) In the meeting dated 22/02/2024 of the District Task Force (Mining) in light of the O. A. No. 23/2024/EZ the Deputy Commissioner - Cum - Chairman directed the concerned Range Forest Officer to cut a trench between the route which connects the River and the Forest Land so as to stop the illegal transportation through the forest area. Moreover, it was further directed to keep a regular vigilance to check the illegal mining and transportation activity.

Photocopy of the no. 374 dated 07/03/2024 is enclosed herewith as **Annexure - 'C'**.

8. That, it is humbly stated and prayed that the Action Taken Report in light of the Para 7'c' above will be filed before the Hon'ble Tribunal for which the Hon'ble Court may be pleased to allow in four Weeks time.

9. That, this Affidavit is filed bonafide and in the interest of justice.

11 MAR 2024



10. That the statement made in forgoing paragraphs are true to my knowledge in annexure are true copy of its original.

Yatiendra Kumar S

DEPONENT

M. Akshay
Adv

VERIFICATION:

Signature Attested and Identification of Lawyer

11 1 MAR 2024

Verified at Ranchi on this the day of March, 2024 that the averments & facts stated herein above are true and correct to my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

Yatiendra Kumar S

DEPONENT

M. Akshay
Adv

EN. 4899/06

Signature Attested and Identification of Lawyer

11 1 MAR 2024



Yatiendra Kumar S
NOTARY PUBLIC, RANCHI
11/03/24

ज्ञापांक :- 1188 / एम०

राँची, दिनांक - 31.8.13

प्रतिलिपि:- सभी उपायुक्त/आरक्षी अधीक्षक/वन प्रमडल पदाधिकारी, झारखंड का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

J
अ.दा.स.
सरकार के सचिव





JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

TOWNSHIP ADMINISTRATION BUILDING, HEC COMPLEX, DHURWA, RANCHI 834004

Telephone: 0651-2400850 (Fax)/ 2400851/2400852/2401847/2400979/2400139

Amexure-B
(11)

By Email

Hon'ble NGT Matter
Time Bound (Urgent)

Ref. No. B-631

Ranchi, Dated. 01/03/2024

From,

Yatindra Kumar Das,
Member Secretary.

To,

The Deputy Commissioner – Cum –
Chairman, District Task Force (Mining),
Bokaro / Hazaribagh.
The District Mining Officer – Cum –
Member Secretary, District Task Force (Mining),
Bokaro / Hazaribagh.

Sub: - Action Taken Report against the illegal mining in light of the order dated 19.01.2024 in O. A. No. 23/2024/EZ (Earlier O. A. No. 729/2023/PB) in Suo Motu matter In re: News Item appearing in News Wing dt. 01.12.2023 titled "बोकारो के कोनार नदी में अवैध रूप से पत्थर का खनन धड़ल्ले से जारी, प्रशासन मौन" – Regarding.

Sir,

With reference to the above noted subject, it is, to inform that the Hon'ble NGT, Eastern Zone Bench on dated 19/01/2024 in O. A. No. 23/2024/EZ (Earlier O. A. No. 729/2023/PB) in Suo Motu matter In re: News Item appearing in News Wing dt. 01.12.2023 titled "बोकारो के कोनार नदी में अवैध रूप से पत्थर का खनन धड़ल्ले से जारी, प्रशासन मौन" (copy enclosed) has suo moto taken up the matter for hearing. The next date of hearing is 13/03/2024.

In light of the above, it is, hereby directed to submit the Action Taken Report in light with the News Item appearing in News Wing dt. 01.12.2023 (copy attached) to the undersigned by 06/03/2024 so that the report may be filed within time.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Encl: As above

Yours Sincerely

Sd/-

(Yatindra Kumar Das)

Member Secretary

Memo No. B-631

Ranchi, Dated. 01/03/2024

Copy to: The Regional Officer, JSPCB Regional Office – Cum – Laboratory, Dhanbad / Hazaribagh for information and it is directed to follow up with the District Task Force (Mining), Bokaro & Hazaribagh and get the report at an earliest.

(Yatindra Kumar Das)
Member Secretary





झारखण्ड सरकार

जिला खनन कार्यालय हजारीबाग।

(e-mail Id - dmo-hazaribagh@jharkhandmail.gov.in)

पत्रांक : 334 / खनन, हजारीबाग, दिनांक : 07/03/2024

Annexure-2

12

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी
-सह-सदस्य सचिव,
जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स, हजारीबाग।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद,
झारखण्ड, राँची।

विषय : **Action Taken Report against the illegal mining in light of the order dated 19/01/2024 in O.A. No. 23/2024/EZ (Earlier O.A, No. 729/2023/PB) in Suo Motu matter in re. News Item appearing in News Wing dt. 01.12.23 titled "बोकारो के कोनार नदी में अवैध रूप से पत्थर का खनन घड़ल्ले से जारी, प्रशासन मौन" - regarding.**

प्रसंग : आपका पत्रांक B-631, दिनांक 01.03.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में दायर O.A. No. 23/2024/EZ (Earlier O.A, No. 729/2023/PB) में दिनांक 19.01.24 को पारित आदेश के आलोक में सूचित करना है कि विषयांगिक मामले की जाँच खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, हजारीबाग एवं थाना पुलिस बल विष्णुगढ़ के उपस्थिति में कोनार नदी में अवैध खनन के संदर्भ में जाँच की गई एवं पाया गया कि वहां पर अवैध खनन किया जा रहा है एवं नदियों से पत्थर का उठाव कर वन भूमि होते हुए इसके समीप स्थापित तीन क्रशरों पर पत्थर ले जाया जाता है तथा इसका उपयोग स्टोन चिप्स बनाने में किया जाता है। जाँच के क्रम में अवैध रूप से स्थापित क्रशरों पर स्टोन का भण्डारण नहीं पाया गया लेकिन स्थानीय ग्रामीणों से पुछ-ताछ से इस बात की पुष्टि हुई की इन क्रशरों पर नदियों से पत्थर ला कर स्टोन चिप्स निर्माण कर स्थानीय बाजारों में बेचा जाता है। इस संदर्भ में नदी से अवैध खनन एवं स्थल पर पकड़े गये पत्थर खनिज लदे ट्रैक्टर के मालिक, अज्ञात चालक, अवैध खनिज के उपयोगकर्ता तीन क्रशरों के मालिकों एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाकर पकड़े गये ट्रैक्टर को छुड़ा ले जाने वाले अज्ञात अन्य ग्रामीणों के विरुद्ध विष्णुगढ़ थाना में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4/21, झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 यथा संशोधित के नियम 54, The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules 2017 के



☺

नियम 7, 9 एवं 13 तथा भारतीय दण्ड संहिता की अन्य सुसंगत धाराओं के तहत विष्णुगढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसका थाना काण्ड संख्या-29/2024, दिनांक 09.02.2024 है।

अनु0-01

अवैधकर्ताओं द्वारा पत्थर उत्खनन कर वन भूमि के रास्ते का उपयोग कर निकटवर्ती क्रशरों में पत्थर की आपूर्ति की जाती है। इस संबंध में अवैध खनन एवं परिवहन कार्य को बाधित करने तथा राजस्व हानि को बचाने हेतु नरकी खुर्द ग्राम स्थित वन क्षेत्र में पड़ने वाले मार्गों को अवरुद्ध करने एवं वन रास्ते का उपयोग न हो इस पर वन विभाग के कर्मी द्वारा सतत निगरानी रखने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 162, दिनांक 10.02.24 द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचित किया गया है।

अनु0-02

वर्णित काण्ड में विष्णुगढ़ थानान्तर्गत नरकी खुर्द में बिना CTE/CTO प्राप्त किये ही अवैध रूप से स्थापित एवं संचालित तीनों क्रशर इकाईयों को प्रदूषण नियमों के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 165, दिनांक 10.02.24 द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, हजारीबाग को सूचित किया गया है।

अनु0-03

प्रासंगिक काण्ड में विष्णुगढ़ थानान्तर्गत नरकी खुर्द में अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किये ही संचालित 03 क्रशर इकाईयों के बावत विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 163, दिनांक 10.02.24 द्वारा कार्यपालक अभियन्ता (विद्युत), विद्युत विभाग, हजारीबाग को सूचित किया गया है।

अनु0-04

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की आहुत बैठक दिनांक 22.02.2024 को विषयांकित O.A. No. 23/2024/EZ के संदर्भ में नदी एवं वन भूमि को जोड़ने वाले रास्ते को ट्रेंच काटकर अवरुद्ध करने एवं वन भूमि के रास्ते अवैध परिवहन न हो इस पर सतत निगरानी हेतु उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स द्वारा संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी को निदेश दिया गया है। टास्क फोर्स की बैठक दिनांक 22.02.2024 की कार्यवाही।

अनु0-05

अतः भवदीय द्वारा प्रेषित प्रासंगिक पत्र के आलोक में उपर्युक्त ATR अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनुलग्नक-यथोक्त।



विश्वासभाजन

7.03.2024
जिला खनन पदाधिकारी,
हजारीबाग।

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 अंतर्गत पुलिस स्टेशन के तहत)

1. District (जिला): हजारीबाग P.S. (थाना): विष्णुगड Year (वर्ष): 2024
 FIR No. (प.सू. सं.): 0029 Date and Time of FIR (प.सू. की दिनांक और समय): 09/02/2024 15:00 घंटे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धारा(एँ)) |
|-----------------|--|---------------------|
| 1 | भा दं सं 1860 | 379 |
| 2 | भा दं सं 1860 | 341 |
| 3 | भा दं सं 1860 | 353 |
| 4 | भा दं सं 1860 | 34 |
| 5 | खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 | 4 |
| 6 | खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 | 21 |
| 7 | झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 | 4 |
| 8 | झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 | 54 |
| 9 | झारखंड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम, 2017 | 7 |
| 10 | झारखंड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम, 2017 | 9 |
| 11 | झारखंड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम, 2017 | 13 |

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): शुक्रवार Date from (दिनांक से): 09/02/2024 Date To (दिनांक तक): 09/02/2024
 Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 09:15 बजे Time To (समय तक): 15:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 09/02/2024 Time (समय): 15:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 018 Date and Time (दिनांक और समय): 09/02/2024 20:29 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 25 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): AT- NARKI KHURD,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):



- (a) Name (नाम): RAHUL KUMAR
- (b) Father's Name (पिताका नाम): BINOJ SINGH
- (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1989
- (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
- (e) UID No. (यूआईडी सं.):
- (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
- Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)(पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))
- | S. No. (क्र.सं.) | ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) | ID Number (पहचान संख्या) |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | |
- (h) Occupation (व्यवसाय):
- (i) Address (पता):
- | S.No. (क्र.सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|-----------------|------------------------------|---|
| 1 | वर्तमान पता | MINE INSPECTOR DISTRICT MINING, OFFICE HAZARIBAG, हजारीबाग, झारखंड, भारत. |
| 2 | स्थायी पता | AT- SIMLADIII, धनबाद, धनबाद, झारखंड, भारत. |
- (j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9308060446

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

| S. No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Present Address (वर्तमान पता) |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | DENESH KUMAR BARNAWAL | Error: Subreport could not be shown | पिता का नाम UNKNOWN | AT- NARKI KHURD, विष्णुगढ़, हजारीबाग, झारखंड, भारत. |
| 2 | RANVIJAY SINGH | Error: Subreport could not be shown | पिता का नाम SIDHA SINGH | AT- NARKI KHURD, विष्णुगढ़, हजारीबाग, झारखंड, भारत. |
| 3 | SAIF ANSARI | Error: Subreport could not be shown | पिता का नाम LATE MOBIN ANSARI | AT- NARKI KHURD, विष्णुगढ़, हजारीबाग, झारखंड, भारत. |
| 4 | Unknown | Error: Subreport could not be show | | |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

| S. No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value (In Rs/-) (मूल्य (₹ में)) |
|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | |

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (₹ में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)



I.I.F.-1 (एकीकृत जांच फार्म-1)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य)

गाड़ी का निश्चित आलेखन निम्नवत है- सेवा में धाना धरारी विष्णुगढ धाना हजारीबाग विषय अवैध रूप से पत्थर उत्खनन कर परिवहन करने तथा बिना अनुज्ञापत्र प्राप्त किये क्रशर मशीन में पत्थर का परसंकरण करने के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में। महाभाग में राहुल कुमार उम्र 35 वर्ष पिता बिनोद सिंह पता शिमलवीह भो0धाना जिला धनबाद का निवासी हैं तथा वर्तमान में खान निरीक्षण जिला खनन कार्यालय हजारीबाग के पद पर कार्यरत हैं। आज दिनांक- 09.02.2024 के पूर्वहन में धार शिवराय के आलोक में आपके धाना के पुनित पदाधिकारी पु0अ0नि0 गिरिश मरांडी एवं बल के उपस्थिती में नरकी खुर्द स्थित कोनार नदी पर छपागारी मारा गया। छपागारी के क्रम में नदी के और से एक पत्थर लट्टा टैक्टर का रजि0न0 अंकित नहीं साथ रंग MAHINDRA B275DI Chasis No- NYB00900 Engine No रफ्ट नहीं धाला रंग0 अंकित नहीं साथ रंग पर करीब 100 घनफीट पत्थर लट्टा हुआ पाया गया जिसे धाना लाने के क्रम में वन भूमी पार करते समय अधानक से काफी संख्या में स्थानीय शामीण (महिला एवं पुरुष) स्थल पर पहुंचकर टैक्टर को ले जाने का भारी विरोध करते हुए पत्थर एवं धालक सहित टैक्टर को भगा ले गया। तदोपरान्त मौजा नरकी खुर्द स्थित क्रशर का जांच के क्रम में 01. GR Latitude 23.847309, Longitude 85.821263 में बिना अनुज्ञापत्र प्राप्त किये एक क्रशर मशीन संचालित पाया गया। स्थानीय लोगो द्वारा पुछ-ताछ के क्रम में बताया गया है कि उक्त क्रशर का मालिक दिनेश कुमार वर्णवान उर्फ दिपु साव पिता सामातूम पता नरकी खुर्द धाना विष्णुगढ है। 02. GR Latitude 23.846103, Longitude 85.821017 में बिना अनुज्ञापत्र प्राप्त किये एक क्रशर मशीन संचालित पाया गया। स्थानीय लोगो द्वारा पुछ-ताछ के क्रम में बताया गया कि उक्त क्रशर का मालिक रणविजय सिंह पिता सिद्ध सिंह पता नरकी खुर्द धाना विष्णुगढ है। 03 GR Latitude 23.845378, Longitude 85.821017 में बिना अनुज्ञापत्र प्राप्त किये एक क्रशर मशीन संचालित पाया गया। स्थानीय लोगो द्वारा पुछ-ताछ के क्रम में बताया गया कि उक्त क्रशर का मालिक रीफ अंसारी पिता स्व0 मोबिन अंसारी पता नरकी खुर्द धाना विष्णुगढ है। उपरोक्त सभी तीनों क्रशर पर पत्थर का भण्डारण का मात्र नगण्य मात्रा में पाया गया तथा सभी तीनों को खनन विभाग द्वारा अनुज्ञापत्र निर्गत नहीं किया गया है। नरकी खुर्द स्थित कोनार नदी से अवैध पत्थर उत्खनन के मामले में राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण नई दिल्ली का स्वतः संज्ञान लेते हुए Original Application no- 23/2024/EZ दायर किया गया है। अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित टैक्टर के मालिक अज्ञात धालक अवैध पत्थर उत्खनन में संलिप्त अन्य अज्ञात अवैधकलाओं टैक्टर छुड़ाने वाले अज्ञात शामीणों अवैध क्रशर संचालक दिनेश कुमार वर्णवान रणविजय सिंह एवं रीफ अंसारी के विरुद्ध सरकारी संपत्ति की घोरि खनन राजस्व की क्षति सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आलोक में तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधि0 1957 के धारा- 4/21 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा संशोधित के नियम - 4/54 The Jharkhand Mineral (Prevention of Illegal Mining Transportation Storage)Rule 2017 के नियम 7/9/13 एवं आपके द्वारा IPC के सुसंगत धाराओं के साथ प्राथमिकी दर्ज करेंगे।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): RAM NARAYAN SINGH (निरीक्षक) / or (या)
- (2) Directed (Name of L.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद):
No. (सं.): to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (धाना): District (जिला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).
F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant. free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)
R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (धाना धरारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): RAM NARAYAN SINGH

Rank (पद): 1 (Inspector)

No. (सं.):

14. Signature / Thumb Impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)



15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में पेशगी की दिनांक और समय):

Attachment to Item 7 of First Information Report (पथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

| S. No. (क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height (cms) (फुट (से.मी.)) | Complexion (रंग) | Identification Mark(s) (पहचान चिह्न) |
|---------------------|------------|---|---------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | पुरुष | 01/01/1900 | | - | | चेहक: नहीं |
| 2 | पुरुष | 01/01/1900 | | - | | चेहक: नहीं |
| 3 | पुरुष | 01/01/1900 | | - | | चेहक: नहीं |
| 4 | | 01/01/1900 | | - | | चेहक: नहीं |

| Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eye (आँखें) | Habit(s) (आदती) | Dress Habit (s) (पहनावा) |
|--|--------------|------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Language/Dialect (भाषा/बोली) | Place of (का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (लुकोदेर्मा/सफ़ेद धब्बे) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused. (यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)





प्रारखण्ड शरगर

जिला खनन कार्यालय हजारीबाग।

(e-mail id - dmo-hazaribagh@jharkhandmail.gov.in)

पत्रांक : 162/खनन, हजारीबाग, दिनांक : 10.02.2024

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी
हजारीबाग।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
पूर्वी वन्य प्रमण्डल, हजारीबाग।

विषय : हजारीबाग जिलान्तर्गत विष्णुगढ़ अन्तर्गत वन भूमि के रास्ते अवैध पत्थर परिवहन के संबंध में।

प्रसंग : विष्णुगढ़ थाना काण्ड संख्या 29/24, दिनांक 09.02.2024

महाशय,

उपरोक्त विषयक, सूचित करना है कि मौजा नरकी खुर्द ग्राम स्थित कोनार नदी से अवैधकर्ताओं द्वारा पत्थर उत्खनन कर वन भूमि के रास्ते गुजरकर निकटवर्ती अवैध क्रशर ईकाई तक पहुँचने का मामला पाये जाने के बावत प्रासंगिक काण्ड दर्ज किया गया है। उक्त नदी से मुख्य पथ तक केवल वन भूमि होकर आने का रास्ता है, जिसे बाधित करना अतिआवश्यक है। स्थल का Co-ordinates Latitude- 23.848622, Longitude- 85.819537 पर काफी मात्रा में कोनार नदी से पत्थर तोड़कर भण्डारण किया हुआ पाया गया है, जो संभवत वन भूमि है।

अतः अवैध खनन एवं परिवहन कार्य को बाधित करने तथा राजस्व हानि को बचाने हेतु नरकी खुर्द ग्राम स्थित वन क्षेत्र में पड़ने वाले मार्गों को अवरुद्ध करने एवं इस पर तनुचित निगरानी हेतु अपने अधीनस्थ पदाधिकारी/कर्मी को निर्देशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासमाजन


10.02.2024
जिला खनन पदाधिकारी,
हजारीबाग।

Document Path: C:\Users\My Documents\2023\22\Jard Letter.docx



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Latitude: 23.848622
Longitude: 85.819537
Elevation: 272.23±4 m
Accuracy: 7.8 m
Time: 02-09-2024 11:21
Note: narki

Handwritten notes in Devanagari script, partially legible as 'नरकी' and '19'.



प्रेषक, जिला खनन पदाधिकारी,
हजारीबाग।

सेवा में, क्षेत्रीय पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्यद, हजारीबाग।

विषय : विष्णुगढ़ थाना काण्ड संख्या 29/24, दिनांक 09.02.2024 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, सूचित करना है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत मौजा नरकी खुर्द में बगैर प्रदूषण विनाग से CTE प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित क्रशरों के विरुद्ध विपरीत काण्ड दर्ज हुआ है। हजारीबाग जिला के टाटीझरीया, चुरचू, टेप्ता, ढाब सलौनिया आदि विभिन्न क्षेत्रों में बगैर CTE प्राप्त किये एवं जिन क्रशरों को CTO प्राप्त है, उनके द्वारा CTO में अंकित शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण हो रहे प्रदूषण के संबंध में ग्रामीणों द्वारा उपायुक्त एवं अन्य श्रोतों से शिकायत प्राप्त हो रहे है।

उल्लेखनीय है कि प्रदूषण नियमों के तहत प्रदूषण की रोकथाम हेतु जिला खनन पदाधिकारी सक्षम प्राधिकार नहीं है। जिले में क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्यद एवं अनुमण्डल पदाधिकारी ही प्रदूषण नियमों के तहत कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार है।

अतः अनुरोध है कि इस संदर्भ में अपने स्तर से प्रदूषण नियमों के तहत बगैर CTE/CTO प्राप्त किये स्थापित/संचालित क्रशरों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई किये जाने का कष्ट किया जाय एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराई जाय, ताकि उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, खनन टास्क फोर्स को अवगत कराया जा सके।

विश्वासभाजन


10.2.2024
जिला खनन पदाधिकारी,
हजारीबाग।

ज्ञापक : 165 / खनन, हजारीबाग, दिनांक : 10.02.24
प्रतिलिपि :- उपायुक्त, हजारीबाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


10.2.2024
जिला खनन पदाधिकारी,
हजारीबाग।





झारखण्ड सरकार
जिला खनन कार्यालय, हजारीबाग।
(E-mail id:- dmo-hazaribagh@jharhandimall.gov.in)

21

पत्रांक : 163 / खनन, हजारीबाग, दिनांक : 10.02.2024

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी,
हजारीबाग।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता (विद्युत),
विद्युत विभाग, हजारीबाग।

विषय : हजारीबाग जिलान्तर्गत अवैध पत्थर भण्डारणकर्ता (क्रशर यूनिट) के संबंध में।

प्रसंग : विष्णुगढ़ थाना काण्ड संख्या 29/24, दिनांक 09.02.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, सूचित करना है कि प्रासंगिक काण्ड में विष्णुगढ़ अंचल अन्तर्गत मौजा नरकी खुर्द में अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किये संचालित तीन क्रशर ईकाई पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है, निम्न ईकाई विद्युत कनेक्शन से संचालित था।

| क्र | थाना का नाम | अवैध क्रशर संचालनकर्ता | GR |
|-----|-------------|---|---|
| 1 | विष्णुगढ़ | दिनेश कुमार वर्णवाल चर्फ दिपु साव, पिता ना मालुम, पता नरकी खुर्द विष्णुगढ़, हजारीबाग। | Latitude-23.847309, Longitude- 85.821263 |
| 2 | विष्णुगढ़ | रण विजय सिंह, पिता सिद्ध सिंह, पता नरकी खुर्द विष्णुगढ़, हजारीबाग। | Latitude-23.846103, Longitude- 85.821017 |
| 3 | विष्णुगढ़ | सेफ अंसारी, पिता स्वा मोघिन अंसारी, पता नरकी खुर्द विष्णुगढ़, हजारीबाग। | Latitude-23.845378, Longitude- 85.82337 |

उल्लेखनीय है कि वर्णित क्रशरों के संचालन से सरकार को भारी राजस्व की क्षति हो रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त तीनों क्रशरों का विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने का कष्ट किया जाय।

विश्वासभाजन

10.2.2024
जिला खनन पदाधिकारी,
हजारीबाग।



ज्ञापांक :16.3...../खनन, हजारीबाग, दिनांक : 10.02.2024

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत विभाग, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
अनुरोध है कि अवैध क्रशरों का विद्युत विच्छेद हेतु अपने स्तर से भी कार्यपालक
अभियन्ता/सक्षम पदाधिकारी को निदेशित करने का कष्ट किया जाय।


10.2.2024
जिला खनन पदाधिकारी,
हजारीबाग।

ज्ञापांक16.3...../खनन, हजारीबाग, दिनांक 10.02.2024

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, हजारीबाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


10.2.2024
जिला खनन पदाधिकारी,
हजारीबाग।



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय (खनन शाखा), हजारीबाग।

दिनांक 22.02.2024 को उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला खनन टास्क फोर्स, हजारीबाग की अध्यक्षता में आहुत बैठक की कार्यवाही :-

सर्वप्रथम उपायुक्त महोदया द्वारा आयोजित बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए माह जनवरी, 2024 में अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण में की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। कार्रवाई का संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार है :-

| क्र० सं० | पदाधिकारी का पदनाम | कार्रवाई की विवरणी | | | | | |
|----------|--|---|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|----------|
| | | माह | कुल वाद | कुल अभियुक्त | जप्त वन पदार्थ | जप्त वाहन | |
| 1 | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग। | जनवरी, 24 | 01 | 02 | मिट्टी - 150 CF | (1) पावर ट्रैक - 02 (2) कोड़ी - 02 (3) बेलवा - 02 | |
| 2 | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग। | जनवरी, 24 | 03 | 15 | कोयला - 21 टन | — | |
| 3 | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य आश्रयणी प्रमण्डल, हजारीबाग। | माह | जी० केस नं० | जप्त वाहन/जप्त वन पदार्थ का विवरण | वनवाद दायर अभियुक्तों की संख्या | गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या | अभियुक्त |
| | | जनवरी, 24 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 4 | जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग। | 1. बालू लदे जप्त वाहन की संख्या - 25 2. स्टोन चिप्स लदे जप्त वाहन की संख्या - 05 3. दर्ज प्राथमिकी की संख्या - 01 4. कुल अभियुक्तों की संख्या - 01 एवं अन्य 5. वाहनो से वसूली गई जुर्माना राशि - 6.70 लाख | | | | | |
| 5 | कारखाना निरीक्षक, अंचल 1, हजारीबाग। | प्रतिवेदन अप्राप्त। | | | | | |
| 6 | कारखाना निरीक्षक, अंचल 2, हजारीबाग। | प्रतिवेदन अप्राप्त। | | | | | |



| | | |
|----|---|---|
| 7 | प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, हजारीबाग। | ईचाक धाना के पीजा टेप्सा में 03 क्रशर पर कार्रवाई किया गया। |
| 8 | जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग। | (1) कुल 08 वाहनों से परिवहन नियमों के उल्लंघन के वायत कार्रवाई करते हुए 1,20,000/- रूपया की वसूली की गई। (2) कुल 10 वाहनों पर तिरपाल नहीं रहने के कारण 20,000/- रूपया की वसूली की गई। (3) कुल 02 ओवर लोड वाहनों से 73,000/- रूपया की दण्ड वसूली की गई है। (4) कुल 27 वाहनों पर रिप्लेक्टिव टेप लगाया गया है। |
| 9 | कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, हजारीबाग। | प्रतिवेदन अप्राप्त। |
| 10 | कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, बरही। | प्रतिवेदन अप्राप्त। |
| 11 | अंचल अधिकारी, सदर। बड़ा बाजार थाना कोरी थाना मुपफसिल थाना लोहसिपना थाना सदर थाना | प्रतिवेदन अप्राप्त। |
| 12 | अंचल अधिकारी, टाटीझरीया। टाटीझरीया थाना | प्रतिवेदन अप्राप्त। |
| 13 | अंचल अधिकारी, ईचाक। ईचाक थाना | प्रतिवेदन अप्राप्त। |
| 14 | अंचल अधिकारी, कोरेडारी। कोरेडारी थाना | बालू लदे जप्त वाहन की संख्या - 01 (दण्ड राशि की वसूली की गई) |
| 15 | अंचल अधिकारी, बरकहा। बरकहा थाना | बालू लदे जप्त वाहन की संख्या - 02 (दण्ड राशि की वसूली की गई) |
| 16 | अंचल अधिकारी, विष्णुगढ़। विष्णुगढ़ थाना | शून्य प्रतिवेदित। |
| 17 | अंचल अधिकारी, चौपारण। चौपारण थाना | कोयला लदे जप्त वाहन की संख्या - 05 (प्राथमिकी - 03) |
| 18 | अंचल अधिकारी, कटकमदाग। कटकमदाग थाना | बालू लदे जप्त वाहन की संख्या - 09 (दण्ड राशि की वसूली की गई) |

© All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of the publisher.



| | | |
|----|---|--|
| 19 | अंचल अधिकारी, घलकुरा। घलकुरा थाना | प्रतिवेदन अप्राप्त। |
| 20 | अंचल अधिकारी, कटकगसाडी। कटकगसाडी थाना पैलाबल ओठ पीठ | शून्य प्रतिवेदित। |
| 21 | अंचल अधिकारी, दास। दास थाना | बालू लदे जप्त वाहन की संख्या - 02 (दण्ड राशि की वसुली की गई) |
| 22 | अंचल अधिकारी, ङाड़ी। गिरी थाना | बालू लदे जप्त वाहन की संख्या - 02 (दण्ड राशि की वसुली की गई) |
| 23 | अंचल अधिकारी, चुरचु। बरही थाना चुरचु थाना | प्रतिवेदन अप्राप्त। |
| 24 | अंचल अधिकारी, पदमा। पदमा थाना | बालू लदे जप्त वाहन की संख्या - 01 (दण्ड राशि की वसुली की गई) |
| 25 | अंचल अधिकारी, बरही। बरही थाना | > बालू लदे जप्त वाहन की संख्या - 01 (दण्ड राशि की वसुली की गई) > रटोन चिन्स लदे जप्त वाहन की संख्या - 01 (दण्ड राशि की वसुली की गई) |
| 26 | अंचल अधिकारी, बड़कागाँव। बड़कागाँव थाना उरीगारी थाना हन्डीकला ओठ पीठ | > बालू लदे जप्त वाहन की संख्या - 02 (दण्ड राशि की वसुली की गई) > बालू लदे जप्त वाहन की संख्या - 01 (दण्ड राशि की वसुली की गई) |

उपायुक्त द्वारा माह जनवरी, 2024 में अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण के वास्तु की गई समीक्षा के दौरान प्रतिवेदित माह में शून्य कार्रवाई/प्राथमिकी दर्ज करने वाले अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी पर अरातोपजनक कार्रवाईयों के प्रति नाराजगी प्रकट करते हुए नव पदस्थापित सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को जिला खनन टास्क फोर्स के विषय पर विस्तृत जानकारी देते हुए निदेश दिया गया कि संबंधित अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण की रोकथाम हेतु सघन जाँच करते हुए प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही दिगत माह का कार्रवाई का प्रतिवेदन अगले माह के 05 तारीख तक जिला खनन पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :- संबंधित सभी सदस्य खनन टास्क फोर्स)



जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विगत कई माहों से थाना परिसर में अवैध खनिज लदे वाहनों को जप्त कर रखा गया है, परन्तु अभी तक वर्णित वाहन के विरुद्ध अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। उसके विरुद्ध तत्काल अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया जाना आवश्यक है। ऐसी ही समरूप मामले में उरीमारी एवं डाडीकला ओ० पी० में ०६ माह से अधिक अवधि से वाहन को जप्त कर रखा गया था, जिसमें से एक वाहन जो उरीमारी ओ० पी० अन्तर्गत था, के मामले में वाहन मालिक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में W.P.C. No. 6586/2023 Satyanarayan Sahu Vrs. State of Jharkhand & Others वाद दायर किया गया है, जिसमें विरुद्ध क्रमशः दिनांक 29.01.2024 एवं दिनांक 01.02.2024 को अंचल अधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई के क्रम में थाना प्रभारी उरीमारी पर कार्रवाई हेतु संबंधित पुलिस विभाग को आदेश दिया गया था, जिसके आलोक में तत्कालीन थाना प्रभारी उरीमारी का निलम्बन भी हुआ है एवं 25,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अतः वैसे मामलों की पहचान कर सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी द्वारा अपने क्षेत्राधीन थानों में जाँच कर अस्वत हो लेना आवश्यक है तथा वाहन उपलब्ध होने की स्थिति में शीघ्र प्राथमिकी कर लिया जाना आवश्यक होगा, ताकि माननीय न्यायालय से संबंधित मामले में प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त न हो।

(अनुपालन :- सभी अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी)

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर W.P. (PIL) No. 2518/2019 उमा शंकर सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 03.04.2023 को पारित आदेश का मामला खनन टास्क फोर्स के समक्ष लाया गया, जिसमें पारिस्थितिकी संवेदी जोन (ESZ) अन्तर्गत अवैध खनन एवं क्रशर संचालन न होने का आदेश पारित है। पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन (ESZ) अन्तर्गत ईघाक थाना क्षेत्र के मीजा सिद्धुआ, डुमरीन, डुमरीन मुर्तियाँ, साड़म, टेप्सा एवं बिक्रमा, पेलावल ओ० पी० क्षेत्र के मीजा पबरा एवं कटकमसांडी थाना क्षेत्र के मीजा हेसाकुदर, शाहपुर एवं गुरी में अवैध खनन एवं अवैध क्रशर इकाई के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 12 प्राथमिकीयाँ दर्ज की गई है। इस संबंध में, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी आश्रयणी प्रमण्डल द्वारा उक्त दायर PIL का विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि किसी भी परिस्थिति में ESZ अन्तर्गत पत्थर, बालू एवं स्टोन क्रशर का संचालन नहीं होना है तथा इस पर समुचित निगरानी रखी जानी है, ताकि किसी भी परिस्थिति में ESZ अन्तर्गत अवैध उत्खनन एवं क्रशर का संचालन न हो। उपायुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को ESZ अन्तर्गत पड़ने वाले ग्रामों की सूचना अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को उपलब्ध करा दी जाय। अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी अपने-अपने अंचल/थाना क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों पर आवश्यक कानूनी



कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करेंगे। इस संदर्भ में निदेश दिया गया कि जिलान्तर्गत अवस्थित खनन पट्टों/अनुज्ञप्ति प्राप्त क्रमों की सूची भी सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को उपलब्ध करा दी जाय।

(अनुपालन :- संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी)

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ईचाक थाना क्षेत्र अन्तर्गत मौजा टेप्सा में बन्द पत्थर खदानों से पुनः पत्थर के अवैध उत्खनन की सूचना लगातार प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 09.12.2023 को विस्फोटक सामग्री को जप्त करते हुए ईचाक थाना में खनन विभाग द्वारा पॉचवी बार प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इसके विरुद्ध थाना स्तर से ठोस कार्रवाई अपेक्षित है, ताकि पुनः अवैध खनन का मामला प्रकाश में न आवे। इस संबंध में थाना प्रभारी, ईचाक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में उक्त स्थल पर अवैध खनन बन्द है। पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त स्थल का दिन-रात समुचित निगरानी करने हेतु थाना प्रभारी, ईचाक को निदेश दिया गया, ताकि वर्णित स्थल से अवैध खनन न हो तथा अवैध खनन पाये जाने पर अदिलम्ब प्राथमिकी दर्ज की जाय।

(अनुपालन :- अंचल अधिकारी, ईचाक/थाना प्रभारी, ईचाक)

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विगत माह में रात्रि के समय अवैध कोयला परिवहन के बावत लगभग 100 से अधिक कोयला लदे वाहनों का जॉंच किया गया है, जॉंच के क्रम में परिवहन चालान में अनियमितता का मामला प्रकाश में नहीं आया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि बड़कागाँव अंचल के विभिन्न वन क्षेत्रों में वन विभाग/पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कोयला के अवैध उत्खनन हेतु मुहाने को बोजरिंग कर बन्द किया गया है। साथ ही सभी थाना प्रभारी को अपने-अपने थाना क्षेत्र में अवैध कोयला परिवहन का लगातार जॉंच करते हुए अनियमितता पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- सभी थाना प्रभारी)

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बड़कागाँव अंचल अन्तर्गत अवैध बालू उत्खनन एवं परिवहन का शिकायत प्राप्त हो रही है एवं समय-समय पर कार्रवाई की जाती रही है, परन्तु प्रभावी रूप से अवैध खनन एवं परिवहन पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को संयुक्त रूप से अवैध बालू उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार ठोस कानूनी कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- सभी अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी)



उपायुक्त द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी से गाह जनवरी, 2024 में खनिज परिवहन के विरुद्ध की गई कार्रवाई की राीक्षा की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा उक्त माह में दो वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने की सूचना दी गई। इस संबंध में उपायुक्त द्वारा नाराजगी प्रकट करते हुए लगातार ओभरलोड एवं बिना शिरपाल ढके खनिज लदे वाहनों का जाँच कर अनियमितता पाये जाने पर अधिक से अधिक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- जिला परिवहन पदाधिकारी)

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा विष्णुगढ़ अंचल के मौजा नरकी स्थित नदी से अवैध पत्थर उत्खनन के मामले में Sumo moto संज्ञान लेकर O.A. No. 23/2024/EZ दायर किया गया है। उक्त के संबंध में खनन विभाग द्वारा अवैध पत्थर उत्खनकर्ताओं एवं 03 अवैध क्रशर इकाईयों के विरुद्ध काण्ड संख्या 29/24, दिनांक 09.02.2024 दर्ज किया गया है। इन स्थलों पर नदी से सटे हुए वन भूमि है। इन स्थलों पर वन विभाग के द्वारा भी सगुचित निगरानी एवं कार्रवाई किये जाने से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लग सकेगा। इस संबंध में उपायुक्त द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी वन प्रमण्डल को नदी एवं वन भूमि को जोड़ने वाले रास्ते पर Trench काटकर अवरुद्ध करते हुए वन भूमि के रास्ते अवैध पत्थर परिवहन न हो इस पर सतत निगरानी रखने हेतु संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी वन प्रमण्डल)

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्व में विभिन्न स्रोतों से कुल 14 शिकायत प्राप्त हुए है, जिसमें से 04 शिकायतों का अनुपालन हुआ है। शेष 10 शिकायत यथावत है, जिसका अनुपालन अगली बैठक के पूर्व करने हेतु निदेश दिया गया। उल्लेखनीय है कि विशेष शाखा से भी सम्पूर्ण जिलान्तर्गत विभिन्न थानाक्षेत्रों से अवैध खनन के मामले में शिकायत प्राप्त हुआ है। जिसके बावत उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी संबंधित थानों को निदेश दिया गया कि अगली बैठक के पूर्व ATR संबंधित पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। साथ ही साथ जिला खनन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वर्णित शिकायतों का ब्योरा बैठक की कार्यवाही के साथ सभी संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाय।

(अनुपालन :- जिला खनन पदाधिकारी/संबंधित पुलिस उपाधीक्षक/अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी)



उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्यों एवं सभी अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी को लघु एवं बृहत् खनिज के अवैध उत्खनन/गण्डारण/परिवहन के विरुद्ध आपसी समन्वय बनाते हुए आवश्यक कार्रवाई कर अवैध खनन को बन्द कराने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन :- सभी खनन टास्क फोर्स सदस्य)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।


उपायुक्त,
हजारीबाग।

ज्ञापक : 337 / खनन, हजारीबाग, दिनांक : 29-02-2024

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी/पूर्वी/दक्षिणी आश्रयणी प्रमण्डल, हजारीबाग/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़/अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर/बरही/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर/बरही/बड़कनगाँव/पुलिस उपाधीक्षक, हजारीबाग/महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग/कारखाना निरीक्षक, अंचल 1 एवं 2, हजारीबाग/क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्वट, हजारीबाग/कर्मपालक अभियन्ता, विद्युत विभाग, हजारीबाग/बरही/जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग/जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग/सभी अंचल अधिकारी, सभी थाना प्रभारी, जिला- हजारीबाग एवं अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उपायुक्त,
हजारीबाग।

ज्ञापक : 337 / खनन, हजारीबाग, दिनांक : 29-02-2024

प्रतिलिपि : सचिव/निदेशक, खान, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


उपायुक्त,
हजारीबाग।

